



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092025-265882
CG-DL-E-02092025-265882

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947

No. 551]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 595(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, भंडार अधिकारी, अनुभाग अधिकारी (अग्नि), सहायक अनुभाग अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, सहायक इंजिनियर (सिविल), सुरक्षा पर्यवेक्षक और परिवहन पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अवैज्ञानिक और तकनीकी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.** – वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अनुभाग अधिकारी।	32* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600-151100 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900-142400 रुपये) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी और वैयक्तिक सहायक जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, तथा उनके पास निर्णायक तारीख को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव -सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निजी सचिव।	27* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (. 47600-151100 रु)।	चयन।

6.	7.	8.	9.
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900-142400 रुपये) में ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44900-142400 रुपये) में ऐसे वैयक्तिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, तथा उनके पास निर्णायक तारीख को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निजी सचिव, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. भंडार अधिकारी।	2* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44900-142400 रु.)।	लागू नहीं होता।

6.	7.	8.	9.
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति:	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।

या पुनर्नियोजन (सशस्त्रबल कार्मिकों के लिए) द्वारा।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी, — (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात भंडार सहायक की पांच वर्ष की सेवा की है; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक आर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) आवश्यक: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री हो; और (ख) भंडारों को संभालने, लेखाओं और भंडार बहियों के रखरखाव में तीन वर्ष का अनुभव हो। (ii) वांछनीय: कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए विहित	निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव - सदस्य।	
--	--	---	--

	आर्हताएं और अनुभव है। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निर्बंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. अनुभाग अधिकारी (अग्नि)।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रु.)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्रबल कार्मिकों के लिए) द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी, - (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक आर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री हो, और (ii) दिल्ली अग्नि सेवा या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित समतुल्य से अग्निशामन कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों के लिए विहित आर्हताएं और अनुभव है। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्वंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात्, उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक अनुभाग अधिकारी।	76* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रु.)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री। वांछनीय: कंप्यूटर कार्य का ज्ञान।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

तक शिथिल की जा सकती है।)			
टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।			

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; (ii) चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (iii) दस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे ज्येष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव -सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	लागू नहीं होता।

	आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही रहेगी। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) में ऐसे ज्येष्ठ सचिवालय सहायक जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निर्णायक तारीख को सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।	-सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव -सदस्य।	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. वैयक्तिक सहायक।	40* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900/- 142400 रु.)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रुपये) में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष;	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पोषक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता वही बनी रहेगी। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 (25500-81100 रु.) में ऐसे आशुलिपिक जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निर्णायक तारीख को सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैयक्तिक सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार	2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव -सदस्य।	
--	--	---	--

	आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा।		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. सहायक इंजिनियर (सिविल)।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रु.)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) द्वारा।	प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी, - (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) आवश्यक: (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा; और (ख) आवासीय और गैर आवासीय भवनों के संनिर्माण	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव - सदस्य।	लागू नहीं होता।

	और रखरखाव जिसके अंतर्गत डिजाइनिंग, अनुमान, संविदाएं, पर्यवेक्षण आदि भी है, में पांच वर्ष अनुभव। (ii) वांछनीय: मान्यताप्राप्त संगठनों से वातानुकूलन प्रणाली, लिफ्टों की आंतरिक साज-सज्जा, वास्तुशिल्प और इलेक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन के रखरखाव और अद्यतनकरण का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस		
--	---	--	--

	तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. सुरक्षा पर्यवेक्षक।	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए) द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25500-81100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; और (ii) सुरक्षा पर्यवेक्षक और अग्रिमन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव - सदस्य।	लागू नहीं होता।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए): सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. परिवहन पर्यवेक्षक।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400 रु.)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रु.) में ऐसे स्टाफ कार	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के	लागू नहीं होता।

	चालक (विशेष श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत विषयक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो कम न हो और उन्होंने और ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित यौक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो; अर्थात् :-	लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -अध्यक्ष; 2. उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव -सदस्य।	
--	---	---	--

	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण; और (ii) मोटर चालन का तीन वर्ष का अनुभव; (iii) मोटर कारों के लिए विद्यमान्य चालन अनुसि रखता हो; (iv) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी यान में छोटी मोटी खराबियों को दूर करने में योग्य होगा)। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	---	--	--

[फा.सं 01(03)/2023 – कार्मिक-III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2025

G.S.R. 595(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Electronics and Information Technology, Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Section Officer, Private Secretary, Stores Officer, Section Officer (Fire), Assistant Section Officer, Personal Assistant, Assistant Engineer (Civil), Security Supervisor and Transport Supervisor in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely: -

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT.** - (1) THESE RULES MAY BE CALLED THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY, NON-SCIENTIFIC AND TECHNICAL (GROUP 'B' POSTS) RECRUITMENT RULES, 2025.

(दो) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** – These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Section Officer.	32* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruitment.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) fifty per cent. by promotion; and (ii) fifty per cent. by Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service
--	--	---

deputation/absorption is to be made.		Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Section Officer in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with six years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules. Limited Departmental Competitive Examination: Assistant Section Officer and Personal Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the Ministry of Electronics and Information Technology with five years regular service, and having successfully completed two weeks training in relevant field or area, and possessing a Bachelor's degree from a recognised University or institute on the crucial date, shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of the Ministry of Electronics and Information Technology, Section Officer, Limited Departmental	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

Competitive Examination Rules, 2025.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary.	27* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) fifty per cent. by promotion; and (ii) fifty per cent. by Limited Departmental Competitive Examination.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Personal Assistant in Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with six years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules. Limited Departmental Competitive Examination: Personal Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) in the Ministry of Electronics and Information Technology with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area,	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

and possessing a Bachelor's degree from a recognised University or institute on the crucial date, shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of the Ministry of Electronics and Information Technology, Private Secretary, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Stores Officer.	02* (2025) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By deputation/absorption, failing which by deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Store Assistant with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possession the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: (A) bachelor's degree from a recognised University or institute; and (B) having three years experience in handling Stores, maintaining Accounts and Store Books. (ii) Desirable: Knowledge of operation of Computer. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel): The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Section Officer (Fire).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By deputation/absorption, failing which by deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) having undergone training in Fire Fighting Skills from the Delhi Fire Service or equivalent as prescribed by the Central Government. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel): The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Assistant Section Officer.	76* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Bachelor's degree from a recognised university or institute. Desirable: Knowledge of computer operation.	Not applicable.	Two years. Note: There shall be mandatory induction training of a least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) fifty per cent. by direct recruitment; (ii) forty per cent. by promotion; and (iii) ten per cent. by Limited Departmental Competitive Examination.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Secretariat Assistant in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules. Limited Departmental Competitive Examination: Senior Secretariat Assistant in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Ministry of Electronics and Information Technology with five years regular service and having successfully completed two weeks training in relevant field or area on the crucial date, shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of the Ministry of Electronics and Information Technology, Assistant Section Officer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Personal Assistant.	40* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	(i) seventy-five per cent. by promotion; and (ii) twenty-five per cent. by Limited Departmental Competitive Examination.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member;	Not applicable.

service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of these rules. Limited Departmental Competitive Examination: Stenographer in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Ministry of Electronics and Information Technology with five years regular service and having successfully completed the two weeks training in relevant field or area on the crucial date, shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination to be conducted in accordance with the provisions of the Ministry of Electronics and Information Technology, Personal Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.	3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Assistant Engineer (Civil).	01* (2025) *Subject to variation on dependent workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By deputation/absorption, failing which by deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, -	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson;	Not applicable.

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) Essential: (A) bachelor's degree or diploma in Civil Engineering from a recognised University or institute; and (B) five years experience in construction and maintenance of residential and non-residential buildings including designing, estimating, contracts, supervision etc. (ii) Desirable: Experience of maintenance and upkeep of air-conditioning system, lifts interior decorations, architecture and electrical installation from a recognised organisations. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel): The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.	2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Security Supervisor.	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel).

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely: - (i) bachelor's degree from a recognised University or institute; and (ii) three years experience of supervising security and fire-fighting work. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Deputation or re-employment (For Armed Forces Personnel):	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9. Transport Supervisor.	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Special Grade) in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with three years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant field or area. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel), Ministry of Electronics and Information Technology - Chairperson; 2. Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology - Member; 3. Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and Information Technology - Member.	Not applicable.

(ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: - (i) matriculation pass from a recognised Board; and (ii) three years experience of Motor driving; (iii) possession of a valid driving license for motor cars; (iv) knowledge of motor mechanism (candidate shall be able to remove minor defects in vehicle). Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--

[F.No. 01(03)/2023-Pers.III]
AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.